

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 20, शनिवार, शाके 1948- जुलाई 11, 2026 Asadha 20, Saturday, Saka 1948- July 11, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 18, 2026

संख्या प.10(44)कृषि/ग्रुप-2/1985 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 29.11.1965 के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, मेडता सिटी की स्थापना की गई थी एवं कृषि उपज मण्डी समिति, मेडता सिटी के मण्डी क्षेत्र में अधिसूचना दिनांक 16.07.1979 द्वारा “गौण मण्डी यार्ड, रियांबडी नाम से स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मंडी समिति मेडता सिटी द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम रियांबडी में गौण मण्डी यार्ड रियांबडी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि गौण मण्डी यार्ड रियांबडी से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:-

पूर्व में - खसरा संख्या 234, 235, 236 एवं 237

पश्चिम में - खसरा संख्या 223, 2412/239 एवं 1800/239 तथा आम सडक रियाबडी से पादू खुर्द

उत्तर में - खसरा संख्या 2247, 230, 231 एवं 232

दक्षिण में - खसरा संख्या 2478/2459 एवं 2479/2459

गौण मण्डी यार्ड रियांबडी की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नरेन्द्र सिंह,

शासन उप सचिव।

4201

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।